



न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:- 2025 / 687

दर्ज तिथि:-19.09.2025

वादी		प्रतिवादी
वगताराम वल्द राजाराम फौत के का.मु. जरिये अधिवक्ता श्री रोशनलाल चौधरी	बनाम	नेथी वल्द डाय श्री रामजीवन विश्नोई

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश-09 नियम-04
सिविल प्रक्रिया संहिता-1908
निर्णय तिथि:-09.02.2026

—:निर्णय:—

- आज यह पत्रावली प्रार्थना-पत्र सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-09 नियम-04 के अन्तर्गत बाबत् निर्णय प्रस्तुत हुई। प्रकरण का सुक्ष्म एवं सारतः वृत्तान्त इस प्रकार है कि प्रार्थी ने सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-09 नियम-04 के तहत हाजा न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। साथ ही प्रार्थना पत्र धारा-5 परिसीमा अधिनियम का भी पेश किया। उक्त प्रार्थना पत्र का विवरण निम्न प्रकार है:-
 - कि हाजा न्यायालय द्वारा दिनांक 14.06.2022 को उक्त पत्रावली पर सुनवाई की तिथि बहस हेतु नियत की गई। लेकिन दिनांक 14.06.2022 को प्रार्थीगण के वकील के आवश्यक कार्य से बाहर होने के कारण तथा प्रार्थी को सुनवाई की तिथि की जानकारी नहीं होने के कारण एवं प्रार्थीगण के परिवार सदस्य प्रार्थी संख्या 1/2 स्वयं कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित होने से प्रार्थीगण ईलाज के लिए अस्पताल में थे। इसी दौरान प्रार्थी संख्या 1/2 कैंसर बीमारी के कारण दिनांक 25.07.2025 को स्वर्गवास हो गया। इस कारण प्रार्थीगण की अनुपस्थिति में उक्त पत्रावली अदम हाजिरी अदम पैरवी में खारिज कर दी गई।
 - उक्त पत्रावली की सुनवाई तिथि के बारे में प्रार्थीगण को जानकारी नहीं थी। वर्तमान में उक्त पत्रावली का गुणवागुण पर निर्णय नहीं होने से प्रार्थीगण न्याय से वंचित रहेंगे। अतः उक्त प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त पत्रावली को पुनः सुनवाई हेतु रखा जावे।
- प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। बाद विधिवत तामिल अप्रार्थी संख्या 09 व 13 असालतन वकालतन उपस्थित न्यायालय हुए। शेष अनुपस्थित अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 09 व 13 जरिये अधिवक्ता जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण अधिवक्ता एवं प्रार्थीगण स्वयं ने वाद को खारिज करवाया एवं आदेश को खुले न्यायालय सुनाया गया इस प्रकार प्रार्थीगण को वाद की जानकारी अधिवक्ता की लापरवाही का कथन निराधार है। प्रार्थी ने आवेदन को म्याद शुमार किये जाने

से मनगढ़त तथ्यों पर आधारित प्रार्थना पत्र पेश किया हुआ होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

3. प्रकरण में विद्वान अभिभाषक उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने जिरह प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थीगण अपने ही परिवार के सदस्य एवं हस्तगत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी संख्या 1/2 कैसर जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित होने के कारण अस्पताल में भर्ती होने एवं उस दरमियान दिनांक 25.07.2025 को प्रार्थी संख्या 1/2 का स्वर्गवास होने के कारण उक्त पत्रावली की सुनवाई तिथि के बारे में प्रार्थीगण को जानकारी नहीं थी। साथ ही उक्त जानकारी प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थीगण को नहीं दी गई। वर्तमान में उक्त पत्रावली का गुणवागुण पर निर्णय नहीं होने से प्रार्थीगण न्याय से वंचित रहेंगे। अतः उक्त प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त पत्रावली को पुनः सुनवाई हेतु रखा जावे। दौरान-ए-बहस अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण को अपने वाद के संबंध में जानकारी होते हुए भी जानबुझकर अनुपस्थित रहे हैं एवं 3 वर्ष की लम्बी अवधि की देरी का कोई स्पष्ट एवं ठोस कारण प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं होने के कारण प्रार्थीगण का हस्तगत प्रार्थना-पत्र खारिज फरमाया जावे।
4. प्रकरण में उक्त कानूनी प्रावधानों के संदर्भ में सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-09 नियम-04 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र की उक्त प्रावधान व न्यायिक दृष्टांतों द्वारा प्रतिपादित परीक्षण पर जांच व विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। प्रकरण में प्रार्थीगण के वकील के आवश्यक कार्य से बाहर होने के कारण तथा प्रार्थी को सुनवाई की तिथि की जानकारी नहीं होने के कारण एवं प्रार्थीगण के परिवार सदस्य प्रार्थी संख्या 1/2 स्वयं कैसर जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हाने से प्रार्थीगण ईलाज के लिए अस्पताल में थे। इसी दौरान प्रार्थी संख्या 1/2 कैसर बीमारी के कारण दिनांक 25.07.2025 को स्वर्गवास हो गया, को आधार बताते हुए सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-09 नियम-04 के तहत दिनांक 14.06.2022 को मूल दावा के अदम पैरवी में खारिज किये जाने को निरस्त करते हुए पुनः सुनवाई पर लेने बाबत् उक्त प्रार्थना-पत्र दिनांक 19.09.2025 को प्रस्तुत किया है।
5. प्रकरण में सर्वप्रथम प्रार्थी द्वारा दिनांक 14.06.2022 को मूल दावा के अदम पैरवी में खारिज किये जाने को निरस्त करते हुए पुनः सुनवाई पर लेने बाबत् पक्षकार के द्वारा अपनाये गये आचरण का विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। दिनांक 14.06.2022 को प्रार्थीगण के वकील के आवश्यक कार्य से बाहर होने के कारण तथा प्रार्थी को सुनवाई की तिथि की जानकारी नहीं होने के कारण एवं प्रार्थीगण के परिवार सदस्य प्रार्थी संख्या 1/2 स्वयं कैसर जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हाने से प्रार्थीगण ईलाज के लिए अस्पताल में थे। इसी दौरान प्रार्थी संख्या 1/2 कैसर बीमारी के कारण दिनांक 25.07.2025 को स्वर्गवास हो गया। इस कारण प्रार्थीगण की अनुपस्थिति में उक्त पत्रावली अदम हाजिरी अदम पैरवी में खारिज कर दी गई। प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा हस्तगत प्रार्थना-पत्र अंतर्गत आदेश-09 नियम-04 वास्ते दिनांक 14.06.2022 को की गई अदम पैरवी को निरस्त करने का दिनांक 19.09.2025 को करीब 03 वर्ष तीन माह दिन की अवधि के पश्चात् प्रस्तुत किया गया है। अब प्रकरण में प्रार्थी को सुनवाई की तिथि के संबंध में जानकारी नहीं होने के कारण प्रकरण का पर्याप्त कारण के संबंध में विश्लेषण किया जाना आवश्यक है।
6. प्रकरण में सर्वप्रथम प्रार्थी द्वारा दिनांक 14.06.2022 को मूल दावा के अदम पैरवी में खारिज किये जाने को निरस्त करते हुए पुनः सुनवाई पर लेने बाबत् प्रस्तुत पर्याप्त

कारण का विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। विचारण न्यायालय में दावा प्रस्तुत करने के पश्चात् पक्षकार का अधिवक्ता ही प्रकरण में पैरवी करते हैं तथा स्वयं पक्षकार की व्यक्तिगत उपस्थिति को अपरिहार्य नहीं माना जाता है। ग्रामीण पृष्ठभूमि के पक्षकार अधिवक्ता के संवाद स्थापित कर अपने न्यायिक प्रकरण की जानकारी अपनी सुविधा अनुसार प्राप्त करते रहते हैं। न्यायालय में विचाराधीन कार्यवाही पर किसी सुनवाई की तिथि पर अधिवक्ता के उपस्थित नहीं होने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। उक्त एकतरफा कार्यवाही की सूचना पक्षकार तक बहुत धीमी या किसी आकस्मिक तरीके से पहुंचती है। किसी न्यायालय में अधिवक्ता की तरफ से पैरवी में खामी का खामियाजा पक्षकार को नहीं देने बाबत् विधि का सुमान्य सिद्धांत है। अतः न्यायालय को किसी महत्वपूर्ण विवाद के प्रश्न को बिना गुणवागुण कर निर्णित किये केवल प्रक्रियात्मक कमी की वजह से न्यायालय से बाहर नहीं फेंकना चाहिए। यहां स्थिति इस प्रकार है कि दावा अभी शुरूआती चरण में है। प्रतिवादी को वादी के दावे के खण्डन हेतु पर्याप्त अवसर प्राप्त होंगे। अतः वादी के दावा को पुनः सुनवाई पर लेने से प्रतिवादी को अपूर्णनीय क्षति होना प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र को न्यायहित में गुणवागुण पर निर्णित करने हेतु सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु सहमत है। अतः

आदेश है कि
प्रार्थी द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के
आदेश-09 नियम-04 के तहत प्रस्तुत
प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर मूल
प्रार्थना-पत्र पर अदम पैरवी में खारिज करने
की गई कार्यवाही को निरस्त करते हुए पुनः
सुनवाई पर लिया जाता है।

यह निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 09.02.2026 को लिखवाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
गुढ़ामालानी

सत्यमेव जयते

गुढ़ामालानी